-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **उ0प्र0 शासन द्वारा चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस टू वर्ड फ्रॉडस्टर्स नीति के क्रम में साइबर क्राइम थाना बांदा द्वारा साइबर ठगी के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो अभियुक्तों को किया गया गिरफतार। अभियुक्तों को कब्जे से भारी मात्रा में डिजीटल साक्ष्य बरामद।**
- **अभियुक्तों द्वारा कूटरचित आधार कार्ड, पैन कार्ड, GST नंबर व QR कोड का दुरूपयोग करते हुए आम नागरिकों को ऑनलाइन सामान बेचने का झांसा देकर की जा रही थी साइबर ठगी।**

विवरण- उ0प्र0 शासन मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे जीरो टॉलेरेंस टू वर्ड फ्रॉडस्टर्स नीति के क्रम में आज दिनांक 17.12.2025 को पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज तथा क्षेत्राधिकारी साइबर श्री सौरभ सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना साइबर क्राइम बांदा द्वारा फर्जी दस्तावेजों व डिजिटल माध्यमों से की जा रही ऑनलाइन साइबर ठगी के एक संगठित गिरोह का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 16.12.2025 को भगत सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी जवाहर नगर थाना कोतवाली नगर द्वारा थाना साइबर क्राइम बांदा पर सूचना दी गई कि प्रार्थी का मित्र वरूण अग्रवाल पुत्र शिवकुमार निवासी कानपुर नगर जो कि बालाजी ट्रेर्डस के प्रोपराइटर है, के द्वारा बताया गया कि उनके GST के फर्जी कागजात बनाकर/उपयोग कर दो व्यक्ति अनिल व चंद्रकिशोर निवासीगण तिंदवारा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा द्वारा लोगों को ऑनलाइन सामान बेचने का प्रलोभन देकर साइबर ठगी की जा रही है। प्रकरण की गंभीरता को देखते सूचना पर तत्काल थाना साइबर क्राइम बांदा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए साइबर थाना की टीम द्वारा डिजिटल ट्रैकिंग, मोबाइल विश्लेषण तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संकलन कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 17.12.2025 को मुखबिर की सूचना तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को तिंदवारा बाइपास के पास गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में जुर्म स्वीकार करते हुए अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कूटरचित आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, अवैध रूप से तैयार QR कोड तथा GST नंबर का दुरुपयोग कर आम नागरिकों को ऑनलाइन सामान बेचने का झांसा देकर उनसे धनराशि की ठगी करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों कि निशांदेही पर भारी मात्रा में फर्जी एटीएम कार्ड, पासबुक, आधार-पैन, स्वाइप मशीन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, मॉनिटर, फिंगर प्रिंट स्कैनर व अकाउंट किट तथा सिम कार्ड किट बरामद हुए है।

बरामदगी-

- 08 अदद मोबाइल फोन
- 12 अदद एटीएम कार्ड
- 07 अदद सिम कार्ड किट
- 05 अदद आधार कार्ड
- 01 अदद पैन कार्ड
- 01 अदद सिम कार्ड
- 03 अदद पासबुक
- 01 अदद स्वाइप मशीन

- 01 अदद मॉनिटर
- 01 अदद CPU
- 01 अदद लैपटॉप
- 15 अदद अकाउंट किट
- 01 अदद फिंगर प्रिंट स्कैनर
- 510 रुपए/ नगद

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अनिल कुमार पुत्र बच्चाप्रसाद निवासी ग्राम तिंदवारा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. चन्द्रकिशोर पुत्र मनीराम निवासी ग्राम तिंदवारा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 16/25 धारा 338/336(3)/340(2) बीएनएस व 66 D आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 साइबर क्राइम थाना श्री राजेश चन्द्र मिश्रा
2. उ0नि0 श्री आकाश शुक्ला
3. हे0कां0 विनोद कुमार
4. कां0 हिमांशु वर्मा
5. कां0 ललित कुमार